[2019] 1 एससीआर 533

हिमाचल प्रदेश राज्य व अन्य प्रति प्रकाश चंद

सिविल अपील सं० 977/2019, निर्णय तिथि, दिनांक 17 जनवरी, 2019

पीठ–न्यायमूर्ति– डॉ.डी.वाई.चंद्रचूड़,

न्यायमूर्ति–हेमंत गुप्ता

सेवा विधि– अनुकंपा नियुक्ति– प्रत्यर्थी के पिता की सेवाकाल में मृत्यु का लाभ– प्रत्यर्थी द्वारा वयस्कता आयु पूर्ण करने पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन किया गया– अस्वीकृत– इस आधार पर कि प्रत्यर्थी पूर्व से राज्य उपक्रम में सेवारत है–अस्वीकृति पत्र को अपास्त करने व अनुकंपा के आधार पर अपनी नियुक्ति की मांग करते हुए प्रत्यर्थी द्वारा रिट याचिका योजित–उच्च न्यायालय द्वारा, परिवार के एक सदस्य के शासन या स्वायत्त परिषद या निगम में सेवारत होते हुए भी, मृतक शासकीय कर्मचारी के पुत्रों या पुत्रियों को, अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने संबंधी प्रकरणों पर विचार करने हेतु राज्य को निदेश निर्गत– अपील किये जाने पर,

धारित– अनुकंपा नियुक्ति संबंधी नीति में एक शर्त अंतर्वलित होती है कि जहाँ परिवार के एक या अधिक व्यक्ति, राज्य शासन या राज्य अथवा केन्द्र शासन के किसी स्वायत्तशासी परिषद, अन्य परिषद, निगम, आदि मे पूर्व से सेवारत हैं, परिवार के किसी अन्य सदस्य को सेवा सहायता प्रदान नहीं की जानी चाहिये–इसका सीमित अपवाद मात्र मृतक कर्मचारी की विधवा को उपलब्ध है, जो अपनी सेवारत संतानो के वित्तीय असहयोग के कारण अनुकंपा नियुक्ति की मांग करती है– उच्च न्यायालय का निदेश आभासी रूप से राज्य शासन को परमादेश की कोटि में आता है कि वह अपनी नीति में उपबंधित शर्तों की अवहेलना करे। अनु–226 भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन की शाक्ति के प्रयोग में, उच्च न्यायालय किसी नीति की शर्तो के पुनर्लेखन हेतु सशक्त नहीं हैं। अनुकंपा नियुक्ति, अधिकार की विषयवस्तु नही है अपितु यह उन शर्तों से ही शासित होनी चाहिए, जो राज्य, मृत शासकीय कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य को सेवायोजन सहायता देने की नीति मे उपबंधित करता है। नीति की शर्तों को पूर्ण न करने वाले आवेदनो पर विचार करने हेतु राज्य को निदेश निर्गत किया जाना अनुमन्य नही है –और तो और रिट याचिका लगभग 2 वर्ष 6 माह उपरांत योजित की गयी थी–प्रत्यर्थी का अग्रज, जो शासकीय सेवा में था, पृथक प्रवास कर रहा था, के अतिरिक्त , याचिका के समर्थन में कोई अन्य तथ्यात्मक अभिकथन नहीं

था–अतः, उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देश अपास्त किये जाते है– भारतीय संविधान– अनु0 226– न्यायिक समीक्षा ।

गोविंद प्रकाश वर्मा प्रति भारतीय जीवन बीमा निगम(2005)10 एस०सी०सी० 289 प्रस्तर–9

धारित– लागू होने योग्य नहीं।

विधि व्यवस्था सन्दर्भ

उमेश कुमार नागपाल प्रति हरियाण राज्य (1994)4 एस०सी०सी० 138, प्रस्तर–11

महाप्रबन्धक (डी&पीबी) प्रति कुंती तिवारी (2004)7 एस०सी०सी० 271, प्रस्तर–11

पंजाब नेशनल बैंक प्रति अश्वनी कुमार तनेजा (2004)7 एस०सी०सी० 265:[2004]3 पूरक एससीआर 597, प्रस्तर–11

भारतीय स्टेट बैंक प्रति सोमवीर सिंह (2007)4 एस०सी०सी० 778:[2007]2 एससीआर 509, प्रस्तर–11

मुमताज युनूस मुलानी प्रति महाराष्ट्र राज्य (2008)11 एस०सी०सी० 384:[2008]5 एससीआर 241, प्रस्तर–11

भारत संघ प्रति शशांक गोस्वामी (2012)11 एस०सी०सी० 307:[2012]6 एससीआर 98, प्रस्तर–11

भारतीय स्टेट बैंक प्रति सूर्य नारायण त्रिपाठी (2014)15 एस०सी०सी० 739,प्रस्तर– 11

केनरा बैंक प्रति एम० महेश कुमार (2015)7 एस०सी०सी० 412:[2015]9 एससीआर 724, प्रस्तर–11

अधिवक्तागण–

विकास महाजन,ए०ए०जी०

पी०एस० पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता,

आकाश वर्मा, अनिल कुमार, अभिनव मुखर्जी, सुश्री बीहू शर्मा,सुश्री पूर्णिमा कृष्णा,सुश्री प्रतिष्ठा विज, अजय मारवाह, अतुल कुमार, ईशान दीवान, पलक बागची, अभिमन्यु शर्मा, एस०के वर्मा, सूर्य नारायण सिंह, सुश्री प्रगति नीखरा, सुश्री कावेरी वत्स, वारिन्दर कुमार शर्मा, सुश्री राधिका गौतम,राजुल श्रीवास्तव, के. कृष्ण कुमार, विक्रांत नारायण वासुदेव, अश्वनी कुमार, सुश्री इति शर्मा, जय कुमार भारद्वाज, रविंदर नैन, पुनीत शर्मा, जोगी स्कारिया, रीगन एस. बाली, सुश्री बीना विक्टर, रवि होमोद, वीरांजनेविलु के.एल.एन.वी., अनिल नाग, रवि बख्शी, आदित्य धवन, सुश्री किरण धवन, शशांक कुमार, चंद्र शेखर आशरी, जयंत मोहन, सुनील कुमार जैन, अभिषेक जैन, अनुषा अग्रवाल, पुण्य गर्ग, अभिषेक जैन, श्रीलोक नाथ रथ, वाई.पी.सिंह, शरण ठाकुर, महेश ठाकुर, विजय कुमार परदेसी, डॉ. सुशील बलवाड़ा, करण चौहान, सुश्री मंजीत चावला, सुश्री भारती त्यागी, सुश्री दिव्या ज्योति सिंह, विनोद शर्मा, पवन रेले, गोपाल प्रसाद, सतीश कुमार, अरविंद एस., ए. लक्ष्मी नारायण, श्रीमती ननीता शर्मा,

विवेक शर्मा, बजरंग लाल जाट, बलदेव सिंह, डीएस पटियाल, बिनय कुमार दास, योगेश कुमार माथुर, अमिता सिंह कलकल, एमसी ढींगरा, पीयूष कांत रॉय, सुश्री इंदिरा कनोरा, गौरव ढींगरा, सुश्री शोभा गुप्ता, अश्वनी कुमार गुप्ता, विक्रांत यादव, पीएन पुरी, रीता दीवान पुरी, अभिषेक पुरी, धीरज, परमानंद गौड़, एकांश बंसल, यश पाल ढींगरा, बलदेव सिंह, डीएस पटियाल, विनय कुमार दास।

व्यवहार अपीलीय क्षेत्राधिकार

व्यवहार अपील सं० 977/2019,

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला द्वारा व्यवहार रिट याचिका सं० 6547/2010, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रति प्रकाश चंद में पारित निर्णय व आदेश, दि० 06.10.2015 से

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डा. धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ द्वारा उद्घोषित किया गया।

1.अनुमति अनुदत्त

2. यह अपील हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय, दि० 06.10.2015 से उद्भूत हुई।

3.प्रत्यर्थी के पिता, जो राज्य के राजस्व विभाग मे चपरासी के रूप में कार्यरत थे, की सेवाकाल में ही दिनांक 04.01.1997 को मृत्यु हो गयी। अपने पिता की मृत्यु की तिथि पर प्रत्यर्थी अवयस्क था। वह दिनांक 17.11.2002 को वयस्क हुआ। हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा विहित अनुकंपा नियुक्ति संबंधी नीति, एक शर्त के अधीन थी कि जहाँ कर्मचारी की मृत्यु के समय, मृत शासकीय कर्मचारी का कोई संतान वयस्क न हो, ज्येष्ठतम संतान, 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर आवेदन कर सकता है। नीति दि० 18.01.1990 के प्रस्तर –8 में यह प्रावधान विहित है। प्रत्यर्थी के वयस्क होने पर प्रस्तुत आवेदन पर प्रक्रिया चल रही थी, किंतु अंततः दिनांक 25.04.2008 को इस आधार पर अस्वीकृत हो गयी कि प्रत्यर्थी का भाई पूर्व से हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद में सेवारत है। प्रत्यर्थी के भाई के राज्य उपक्रम में सेवारत होने संबंधी तथ्य निर्विवाद है।

4. उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में, प्रत्यर्थी ने याचना किया कि उसका भाई पृथक प्रवास करता है तथा उसने राशन कार्ड व ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र का अवलंबन लिया। भाई के 17 वर्षों से पृथक प्रवास संबंधी तथ्य को रिट याचिका मे निम्नवत स्वीकार किया गया है–

“ क्योंकि याची का अग्रज पृथक प्रवास कर रहा था तथा याची का कोई परिजन शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं था, यह तथ्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र से स्पष्ट है, जिसकी प्रतिलिपि अनुलग्नक पी–7 के रूप में संलग्न है। याची के परिवार के राशन कार्ड से स्पष्ट है कि याची का अग्रज उसके साथ प्रवास नहीं करता है, राशन कार्ड की प्रतिलिपि अनुलग्नक पी–8 के रूप में संलग्न है। संबंधित प्रधान द्वारा भी प्रमाणित किया गया है कि याची का अग्रज गत 17 वर्षों से पृथक प्रवास कर रहा है, यह तथ्य प्रमाण पत्र से स्पष्ट है, जिसकी प्रतिलिपि अनुलग्नक पी–9 के रूप में संलग्न है।

5.याचिका अंतर्गत अनु० 226 भारतीय संविधान में याचित अनुतोषो के माध्यम से प्रत्यर्थी द्वारा अस्वीकृति पत्र, दिनांक 25.04.2008 को अपास्त करने तथा अनुकंपा आधार पर अपनी चपरासी के रूप में नियुक्ति करने हेतु निर्देश की मांग की गयी।

6. राज्य शासन द्वारा विहित नीति के प्रस्तर 5 (ग) मे पात्रता हेतु निम्नलिखित शर्त अंतर्वलित है–

“ उन सभी प्रकरणों में जहाँ परिवार के एक या अधिक सदस्य पूर्व से शासकीय सेवा में हों या राज्य / केन्द्र शासन के निकाय/परिषद/निगम, आदि में सेवारत हो, किसी भी परिस्थिति में, परिवार के द्वितीय या तृतीय सदस्य को सेवायोजन सहायता प्रदान नहीं होनी चाहिये तथापि ऐसे प्रकरण में, जहाँ मृत शासकीय सेवक की विधवा आवेदन अथवा दावा करती है कि उसके सेवारत पुत्र/पुत्रियाँ, उसे सहयोग नहीं कर रहे है, सेवायोजन सहायता के अनुरोध पर मात्र विधवा के संबंध में विचार होना चाहिए। यहाँ तक कि विधवा को अनुकंपा नियुक्ति की अनुमति के लिये, ऐसे प्रकरणों में, कार्मिक व वित्त विभागों की राय विशेष रूप से आहूत होनी चाहिये तथा अंतिम निर्णय मंत्रिपरिषद का होगा।"

7.उन विवाद्यकों के समूह में, जो उच्च न्यायालय द्वारा निस्तारित किये गए, निर्णय हेतु विरचित एक वादबिंदु निम्नवत् था–

“(ix) मृतक कर्मचारी के एक या अधिक आश्रित के सेवा में होने की स्थिति मे, यद्यपि पृथक प्रवास कर रहे हो, क्या इसे, मृतक कर्मचारी के अन्य आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति से मना करने का आधार बनाया जा सकता है?"

8.नीति में एक शर्त अन्तर्वलित है कि जहाँ परिवार के एक या अधिक व्यक्ति राज्य शासन या राज्य/केन्द्र शासन के स्वायत्त निकाय, परिषद, निगम,आदि के अंतर्गत पूर्व से सेवारत हो, सेवायोजन सहायता परिवार के अन्य सदस्य को उपलब्ध नहीं होनी चाहिये। तथापि, मृत शासकीय कर्मचारी की विधवा के प्रकरण में एक अपवाद निकाला

गया, जबकि वह दावा करती हो कि उसकी सेवारत संताने उसे सहयोग नहीं कर रही हो। अनुकंपा नियुक्ति अनुमत करने के पूर्व, कार्मिक व वित्त विभागों की राय आहूत करना अपेक्षित है तथा प्रकरण में अंतिम निर्णय मंत्रिपरिषद का होगा।

9. उच्च न्यायालय द्वारा वादबिंदु सं० 9 को निर्णीत करते समय, गोविंद प्रकाश वर्मा प्रति भारतीय जीवन बीमा निगम में, इस न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय का अवलंबन लिया गया, विशेषकर इस प्रेक्षण पर कि मात्र यह तथ्य कि प्रार्थी का अग्रज कृषि कार्य व यदाकदा पेंटर का कार्य करता था, लाभप्रद सेवायोजन का अर्थान्वयन नहीं किया जाएगा। यह निष्कर्ष शुद्ध रूप सें उक्त वाद के तथ्यों पर आधारित है तथा प्रस्तुत वाद में इसकी सुसंगति का कोई अर्थान्वयन नहीं किया जा सकता।

10. उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रेक्षित किया गया है कि परिवार के एक सदस्य के शासन या किसी स्वायत्त परिषद या निगम में सेवारत होने के बाद भी राज्य द्वारा, मृत शासकीय कर्मचारियों के, यथास्थिति पुत्र या पुत्रियों द्वारा किए गए आवेदनों पर कार्यवाही करते समय अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति संबंधी प्रकरणों पर विचार किया जाना चाहिये। उच्च न्यायालय का यह निदेश आभासी रूप से राज्य शासन को परमादेश है कि वह अपनी नीति,दि० 18.10.90 के प्रस्तर 5(ग) में उपबंधित शर्तों की अवहेलना करे। नीति में एक सीमित अपवाद अंतर्वलित है, जो मात्र मृत कर्मचारी की विधवा को उपलब्ध है, जो, राज्य के अधीन मृत कर्मचारी के किसी संतान के लाभप्रद रूप से सेवारत होने के बाद भी अनुकंपा नियुक्ति की मांग करती है। इस अपवाद का आधार, ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही से संबंधित है, जहाँ विधवा को, उसकी सेवारत संतानों द्वारा वित्तीय सहयोग न प्रदान किया जा रहा हो।

11.अनु० 226 भारतीय संविधान के अंतर्गत, न्यायिक पुनर्विलोकन की शाक्ति के प्रयोग में, उच्च न्यायालय किसी नीति की शर्तों के पुनर्लेखन हेतु सशत्त नही है। यह सुस्थापित है कि अनुकंपा नियुक्ति अधिकार नहीं है, अपितु यह उन शर्तों से ही शासित होनी चाहिये, जो राज्य, मृत शासकीय कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य को सेवायोजन सहायता देने की नीति में उपबंधित करता है।

12.उपरोक्त कारणों में हम इस मत के है कि उच्च न्यायालय का निर्णय असंधार्य है। उच्च न्यायालय ने आमामी रूप में नीति की शर्तों का पुनर्लेखन किया है तथा नीति की शर्तों को पूर्ण न करने वाले आवेदनों पर विचार करने हेतु राज्य को निर्देश किया है। यह अननुमन्य है।

13. इसके अतिरिक्त, अभिलेख से हम पाते है कि प्रत्यर्थी के पिता दि० 04.01.1997 को दिवंगत हुए, यद्यपि प्रत्यर्थी द्वारा वयस्क होने पर नीति के अंतर्गत, यथा अनुमन्य,

आवेदन किया गया, आवेदन दि० 25.04.2008 को अस्वीकृत हुआ। रिट याचिका उसके लगभग 2 वर्ष, 6 माह उपरांत योजित की गयी। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी का अग्रज, जो शासकीय सेवा में है, पृथक प्रवास कर रहा था, याचिका के समर्थन में कोई अन्य तथ्यात्मक अभिकथन नही था। किसी अन्य स्थिति में, जैसा कि हम पूर्व मे धारित कर चुके है, उच्च न्यायालय द्वारा, विहित नीति का भंग कारित करने वाला निर्देश निर्गत करना न्यायानुमत नहीं है।

14. इन कारणों से, हम अपील स्वीकार करते हैं तथा उच्च न्यायालय द्वारा, उसके पूर्वोक्त आक्षेपित निर्णय/आदेश में निर्गत निर्देशों को अपास्त करते है। परिणामतः, प्रत्यर्थी द्वारा योजित रिट याचिका बिना व्यय अस्वीकार की जाती है।

अपील अनुमत।

निधि जैन

Digitally signed by Gyanendra Tripathi
Date: 2023.11.01 15:15:30 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court